

भारत सरकार Government of India  
परमाणु ऊर्जा विभाग Department of Atomic Energy  
राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र  
RAJA RAMANNA CENTRE FOR ADVANCED TECHNOLOGY

Ref:15/05/2021-GAC/2615

April 30, 2021

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए बचाव उपायों के संबंध में।

Subject : Preventive measures to contain spread of Novel Coronavirus (COVID-19) REGARDING

यह परिपत्र उपर्युक्त विषय पर इस केंद्र के दिनांक 21 अप्रैल, 2021 के परिपत्र संख्या 14/05/2020-जीएसी/434 के अनुक्रम में है।


This is in continuation of this Centre Circular No.14/05/2020-GAC/434 dated April 21, 2021 on the above subject.

समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27.4.2021 को प्रकाशित समाचार के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर, इंदौर ने एक समीक्षा समिति की बैठक के उपरान्त कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण सार्वजनिक स्थानों पर सुबह की सैर और साइकिल चलाना बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसा करने वालों को महामारी रोग अधिनियम, 1897 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।

According to the News appeared in newspaper Dainik Bhaskar dated 27.4.2021 that DM & Collector, Indore after a Review Committee Meeting, has ordered stopping of morning walks and cycling in a public places due to outbreak of Corona pandemic. He further stated that the defaulters will be booked under Epidemic Disease Act, 1897.

समिति के सदस्यों के विचार जानने के लिए यह मामला अध्यक्ष, सीडब्ल्यूईएमसी एवं टीएसी को प्रेषित किया गया था। इस मामले पर विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अनुशंसा की कि कम से कम अगले 15 दिनों तक कैंपस में सुबह/शाम की सैर और साइकिल चलाने की अनुमति न दिया जाना विवेकपूर्ण है। समिति द्वारा की गई अनुशंसा को निदेशक महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

The issue was referred to Chairman, CWEMC and TAC for obtaining views of Committee members thereon. After deliberation on the issue, the Committee recommended that it is prudent to disallow morning / evening walk and cycling in the campus at least for next 15 days. The recommendation of the Committee has been accepted by the Director.

  
30.4.21

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आरआरकेट आवासीय कॉलोनी के सभी निवासियों से अनुरोध है कि वे कम से कम अगले 15 दिनों के लिए या इंदौर नगर निगम/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस विषय में विशेष राहत पर अगला आदेश आने तक सुबह एवं शाम की सैर न करें और साइकिल न चलाएं ।


In view of the above, all the residents of RRCAT residential colony are requested not to take morning and evening walk and cycling in the campus at least for next 15 days or till further orders on specific relaxation by Indore Municipal Corporation / Local Authorities.

आरआरकेट आवासीय कॉलोनी के सभी निवासियों का बिना शर्त समर्थन तथा सहयोग अपेक्षित है।

Unconditional support and cooperation from all residents of RRCAT Residential Colony is earnestly requested.

यह निदेशक, आरआरकेट के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This issues with the approval of Director, RRCAT.



( एस.एस.गोंडाणे S.S.Gondane )

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी Chief Administrative Officer

मेल ऑल के माध्यम से सभी कर्मचारी

All employees through Mail All

उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी - कृपया कॉलोनी में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को रोकने में सहायता के लिए कॉलोनी में सुबह या शाम की सैर और साइकिल चलाने वाले किसी भी व्यक्ति को समझाएं ।

DCSO – May please counsel anybody found taking morning or evening walk and cycling in the colony to help prevent further spread of Covid-19 in the colony.

उप कमांडेंट, कैओसुब - उपरोक्त निर्देश के अनुपालन के लिए

DC CISF – for compliance of the above instruction.

सूचनार्थ प्रतिलिपि Copy for information :

1. निदेशक कार्यालय, आरआरकेट Office of Director, RRCAT
2. अध्यक्ष, सीडब्ल्यूईएमसी एवं टीएसी Chairman, CWEMC / TAC